प्राक्कथन

दो दशकों से मध्याह्न भोजन योजना की विद्यमानता तथा कई वर्षों से योजना के विषयों मे कई सुधार करने में सरकार की पहलशक्ति के बावजूद, योजना का वास्तविक कार्यान्वयन समूचे बोर्ड में विभिन्न कमियों और त्रुटियों से ग्रस्त है। 2007-08 के दौरान योजना की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा ने कई भय-सूचक चिन्ह लगाए जैसे नामांकन आंकड़ों को अधिक बताए जाने, लीकेज के मामले, वित्तीय अनुशासन-हीनता, भोजन की खराब गुणवत्ता तथा अपर्याप्त मॉनीटरिंग आदि, जो अभी भी विद्यमान हैं।

इस प्रतिवेदन में उन 27 राज्यों (मिजोरम को छोड़कर) तथा सात संघ-राज्य क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्तवपूर्ण परिणाम निहित हैं जहां यह योजना चालू थी। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य/जिला नोडल विभागों तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/केन्द्रों में 2009-10 से 2013-14 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

हमे आशा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया यह प्रतिवेदन संशोधित योजना पहुँचाने में सहायक होगा।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप की गई है।